न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 53 / 2021
निर्णय दिनांक –21.08.2024
GCMS No.- 2024/87

1. अजीतसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
2. गुलाब कंवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
3. गोपाल कंवर पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
4. दिपसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू(राज.)
5. प्रेम कंवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
6. भंवर कवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू(राज.)
7. मिट्ठु कंवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)

..................वादी

बनाम

1. जगदीश सिंह पुत्र मांगूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ (चूरू)
2. माणक सिंह पुत्र मांगूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ (चूरू)
3. रामेश्वरसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ (चूरू)
4. कमला पुत्री मांगूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ (चूरू)
5. विमला पुत्री मांगूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ (चूरू)
6. शारदा पत्नी बनवारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ (चूरू)
7. मधु पत्नी स्व. बनवारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ (चूरू)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ (चूरू)

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक कृषि भूमि एवं दुरूस्ती रेकार्ड
अन्तर्गत धारा 88, 90 राज काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–
1. बसन्त चोटिया व तोलाराम गोदारा एडवोकेट वादी।
2. रतनलाल साद एडवोकेट प्रतिवादी।
3. प्रतिवादी संख्या 8 राज पैरोकार राज।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला–चूरू

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ के खाता संख्या 160 खसरा संख्या 171 रकवा 1.0242 हैक्टेयर खसरा संख्या 172 रकबा 0.4552 हैक्टेयर, खसरा संख्या 189 रकवा 0.5437 हैक्टेयर, खसरा संख्या 190 रकबा 1.3783 हैक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकवा 0.7839 हैक्टेयर, खसरा संख्या 408 रकवा 3.2244 हैक्टेयर, खसरा संख्या 410 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, खसरा संख्या 411 रकवा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता 8 रकवा 7.9913 संयुक्त में वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसमें से खसरा संख्या 408 रकवा 3.2244 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के कब्जा काश्त में सेटलमेंट से चला आ रहा है। जिसकी घोषणा की जानी विधि सम्मत आधार है। जिसे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने बावत घोषणा करने हेतु निवेदन किया है। तथा खसरा संख्या 356 रकबा 2.6175 हैक्टेयर व खसरा संख्या 358 रकवा 2.5922 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पति व पिता बनवारीसिंह के नाम दर्ज है जिसमें से खातेदार गुलाबी पत्नि मांगू उर्फ मंगेज का स्वर्गवास दिनांक 16.12.2001 ई को हो चुका है जिसके विरासतन उतराधिकारी वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज है जिसका हिस्सा 1/2 सभी शेष उतराधिकारियों प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 6 व 7 में समायोजन किया जावे तथा खातेदार

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

गुलाबी पत्नि मांगू का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। उक्त प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खसरा संख्या 356 रकबा 2.6175 हैक्टेयर जो वादीगण संख्या 1 ता 7 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में सेटलमेंट के समय से रहा है। जो वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। व खसरा संख्या 408 जिस पर वादीगण के खातेदारी में है वह वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। भूमि की किस्म बारानी अव्वल ही है। जिसका वादीगण कब्जा व काश्त के आधार पर खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादीगण का कब्जा व काश्त का खसरा संख्या 408 प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से वादीगण को कानूनी पेचिदगियां हो रही हैं। जिसका विनिमय के आधार द्वारा दुरूस्ती व संशोधन घोषणात्मक डिक्री से किया जाना आवश्यक है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त दुरूस्ती हेतु निवेदन किया जिस पर वोह टालमटोल करते रहे अन्त में स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया जिससे वादीगण को वाद हैतुक प्राप्त है।

वादगत भूमि रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है तथा पक्षकारान भी ग्राम भोजलाई के स्थाई निवासी हैं। जिस सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्तानुसार दुरूस्ती हेतु डिक्री पारित की जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने उपस्थित आकर इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकारते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया जाने पर कोई आपति नहीं होने का जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 8 राज पैरोकार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम भोजलाई के खसरा संख्या 408 वर्तमान में अजीतसिंह , गुलाबकंवर, गोपालकंवर, दिपसिंह, प्रेमकंवर, मिठुकंवर पुत्र पुत्री मदनसिंह, भंवरकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी भोजलाई के नाम दर्ज है जबकि कब्जा काश्त में खसरा संख्या 356 है। खसरा संख्या 356 कमला, मांगू विमला पुत्री मांगू, गुलाबी पत्नी मांगू , जगदीशसिंह, बनवारीसिंह, माणकसिंह, रामेश्वरसिंह पुत्रान मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी भोजलाई के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि खसरा संख्या 408 कब्जा काश्त में है। अतः खसरा संख्या 408 व 356 में राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 48 के तहत रकबे में अन्तर पर नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 चूरू ने भी इकबाल जवाबदावा के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने मुताबिक वादपत्र दावा वादीगण डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने मुताबिक राजीनामा दावा वादीगण डिक्री किये जाने का कथन किया। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के अवलोकन

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

से स्पष्ट है कि वादगत खेत खाता संख्या 160 में अंकित खसरा संख्या 408 वादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित है लेकिन मुताबिक वादपत्र उक्त खसरा प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में स्थित है जिसको प्रतिवादीगण ने अपने इकबाल जवाबदावा में भी स्वीकार किया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार से भी प्रमाणित होता है। तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 55 में अंकित खसरा संख्या 356 रकबा 2.6175 हैक्टेयर जोकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित है लेकिन कब्जा व काश्त वादीगण संख्या 1 ता 7 का है जिसको प्रतिवादीगण ने अपने इकबाल जवाबदावा में भी स्वीकार किया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार से भी प्रमाणित होता है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन होने के कारण पक्षकारान को होने वाली परेशानियों को भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। चूकिं पक्षकारान उक्त दुरूस्त करवाने हेतु सहमत हैं तथा राज पैरोकार ने भी जवाब दावा में अंकित किया है कि पक्षकारान का वर्तमान में कब्जा वाद में वर्णितानुसार ही है राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है। साथ ही रकबे में अन्तर पर नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने हेतु कथन किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण मुताबिक इकबाल जवाबदावा न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ के खाता संख्या 160 में खसरा संख्या 408 रकबा 3.2244 हैक्टेयर जो कि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वह शून्य है जिसके स्थान पर खसरा संख्या 356 रकबा 2.6175 हैक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है को दुरूस्त कर वादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम खाता संख्या 160 में इन्द्राज किया जावे शेष खसरा संख्या 171, 172, 189, 190, 355, 410 व 411 यथावत रहेगा। तथा खसरा संख्या 408 रकबा 3.2244 जो खाता संख्या 160 में वादीगण के नाम दर्ज है शून्य है वह प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम खाता संख्या 55 में इन्द्राज किया जावे। शेष खसरा संख्या 358 रकबा 2.5922 हैक्टेयर यथावत रहेगा। रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार गुलाबी पत्नी मांगू का नाम फौत होने के कारण हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 6 तथा 7 के हिस्सा में गुलाबी का हिस्सा समायोजित किया जावे। तहसीलदार सुजानगढ़ खसरे के विनिमय में रकबे के अन्तर की राशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत उक्तानुसार आदेश की पालना की जावे। तद्नुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़**

बइजलास**श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

अजीत सिंह आदि बनाम जगदीश सिंह आदि

राजस्ववादसंयुक्त खातेदारीविभाजन

मुकदमा न0 53 सन 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री बसन्त चोटिया, मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ के खाता संख्या 160 में खसरा संख्या 408 रकबा 3.2244 हैक्टेयर जो कि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वह शून्य है जिसके स्थान पर खसरा संख्या 356 रकबा 2.6175 हैक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है को दुरुस्त कर वादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम खाता संख्या 160 में इन्द्राज किया जावे शेष खसरा संख्या 171, 172, 189, 190, 355, 410 व 411 यथावत रहेगा। तथा खसरा संख्या 408 रकबा 3.2244 जो खाता संख्या 160 में वादीगण के नाम दर्ज है शून्य है वह प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम खाता संख्या 55 में इन्द्राज किया जावे। शेष खसरा संख्या 358 रकबा 2.5922 हैक्टेयर यथावत रहेगा। रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार गुलाबी पत्नी मांगू का नाम फौत होने के कारण हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 6 तथा 7 के हिस्सा में गुलाबी का हिस्सा समायोजित किया जावे। तहसीलदार सुजानगढ़ खसरे के विनिमय में रकबे के अन्तर की राशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत उक्तानुसार आदेश की पालना की जावे। तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख22माह 08 2024

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मुतफरिक मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़